

पत्रांक-10/राज्य स्कीम आवं0-31/2024-25

15/3/रा0,

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
संताल परगना, दुमका।

राँची, दिनांक- 25-02-2025

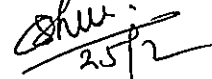
विषय :- राज्य स्कीम के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उपशीर्ष-22-विविध दस्तावेजों का मुद्रण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25
में व्यय हेतु मुद्रण इकाई विपत्र कोड-40S20290079622000319 में रुपये रू0
5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1320/रा0, दिनांक-22.04.2024 एवं ऑनलाईन
स्वीकृत्यादेश संख्या-75 दिनांक-22.04.2024 द्वारा प्राप्त स्वीकृति तथा बंदोबस्त पदाधिकारी, संताल
परगना, दुमका के पत्रांक-06-I, दिनांक-16.01.2025 के आलोक में रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये)
मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन DDO Code- DMKLDLDR 001 में दिया गया है।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि.,
दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के
आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार
संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः
अनुपालन किया जाय।
4. इस राशि का व्यय कार्यालय में विविध दस्तावेजों के मुद्रण एवं विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये
लगान रसीद से संबंधित विपत्रों का भुगतान हेतु किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी,
जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. राशि की निकासी से संबंधित विस्तृत व्यय विवरणी, टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को
उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-40 के अतिरिक्त विपत्र
कोड-40S20290079622000319 का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
8. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष
राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2024 के पूर्व अवश्य कर दिया जाय।
9. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,



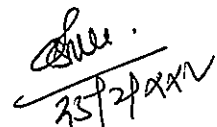
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

15/3/राँची, दिनांक- 25-02-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार,
दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव

ymc.